कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांकः– C-1904 /जि0का0अधि0/आ0बा0स्था0/विज्ञप्ति/2025–26, दिनांक 19/12/2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद कानपुर नगर के शहरी/ग्रामीण परियोजनाओ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूर्व चयन प्रक्रिया से आच्छादित आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदो को भरे जाने हेतु मानदेय पर संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की जानी है जिसके लिए आवेदिकाओ (महिला) के विभागीय वेबसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदों का विकास खण्ड/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/ शहरी	पूर्व चयन प्रक्रिया से आच्छादित आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों की संख्या
1	चौबेपुर	ग्रामीण	1
2	शिवराजपुर	ग्रामीण	1
3	बिल्हौर	ग्रामीण	4
4	विधनू	ग्रामीण	1
5	पतारा	ग्रामीण	3
6	सरसौल	ग्रामीण	4
7	कल्याणपुर	ग्रामीण	2
8	शहर प्रथम	शहरी	10
9	शहर द्वितीय	शहरी	6
	योगः–		32

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

01. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
02. आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
03. आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 01.07.2025 को आधार मानकर की जायेगी तथा आयु के संबंध में हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
04. आवेदिका को उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रो में) का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है, जहाँ के लिए आवेदन कर रही है। अन्य ग्राम सभा/वार्ड के आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
05. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म पर किया गया हो। किसी भी दशा में ऑफलाइन कोई भी आवेदन पत्र/प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए आवेदिका स्वयं उत्तरदायी होंगी। त्रुटि सुधार हेतु आफलाइन किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
06. ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 08.01.2026 होगी।
07. रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर चस्पा है। रिक्तियों का विवरण विभागीय वेबसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर भी देखा जा सकता है।
08. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित केन्द्रों पर आवेदन हेतु गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र रू0 46080.00 वार्षिक आय तक ही मान्य है तथा शहरी क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र पर आवदेन हेतु गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का आय प्रमाण पत्ररू0 56460.00 वार्षिक आय तक ही मान्य है। आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2011(यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

09. निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

10. एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर नहीं की जायेगी।

11. आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पदों पर चयन की वरीयता क्रमानुसार निम्नवत् है:–

(I) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रो) में गरीबी रेखा से नीचे की **(BPL)** विधवा → विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता → अन्य बी0पी0एल0 महिला।

(II) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रो) में गरीबी रेखा से ऊपर की **(APL)** विधवा → विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता → अन्य ए0पी0एल0 महिला।

(III) उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

12. तलाकशुदा/परित्यक्ता के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगे।

13. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर पालिका/नगर निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल ही मान्य होगी।

14. विज्ञप्ति में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट या बढ़ भी सकती है।

19/12/2025

(प्रीति सिन्हा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
कानपुर नगर।

(विज्ञापन के लिए नही)

पृष्ठांकन सं0 C-1904 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निदेशक, बाल विकास सेवा एंव पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
02. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
03. मुख्य विकास अधिकारी/चयन समिति अध्यक्ष महोदया, कानपुर नगर।
04. समस्त उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर।
05. समस्त सदस्य चयन समिति, कानपुर नगर।
06. जिला सूचना अधिकारी कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को न्यूनतम दरों पर दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला तथा स्थानीय समाचार पत्र दैनिक सच की गंगा ब्यूरो में अधिकतम साइज 210 वर्ग सेमी में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
07. समस्त तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी,/प्रभारी चिकित्साधिकारी,/खण्ड शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।
08. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित तहसील एवं सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें तथा साथ ही सम्बन्धित ग्रामसभा/वार्ड के रिक्त पदों की जानकारी ग्राम प्रधान/सभासद को देना सुनिश्चित करें।
09. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
कानपुर नगर।